भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 87

(दिनांक 05.12.2013 को उत्‍तर के लिए)

**यू.पी.एस.सी. द्वारा निःशक्तता दिखाने वाला फोटो मांगा जाना**

87. **श्री प्रभात झा :**

**श्री अरविन्द कुमार सिंह :**

**श्रीमती कुसुम राय:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) ने नौकरी के लिए आवेदन करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों से, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र V में चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विहित रूप से सत्यापित निःशक्तता को दिखाने वाला फोटो लगाने को कहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यू.पी.एस.सी. का उपरोक्त कृत्य निःशक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और निःशक्त लोगों के सम्मान के विरुद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करके इस संबंध में जवाबदेही तय करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्‍तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री वे. नारायणसामी)**

**(क) एवं (ख) :** संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार के अन्तर्गत पदों एवं सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं 36035/3/2004 –स्थापना (आरक्षण) में विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन करता है । उक्त कार्यालय ज्ञापन पैरा 9 जो निःशक्ता प्रमाण-पत्र के प्रपत्र को दर्शाता है कि निःशक्ता प्रमाण-पत्र पर चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विहित रूप से सत्यापित निःशक्ता दर्शाने वाला अभ्यर्थी का हाल ही का फोटोग्राफ लगाया जाए, का प्रावधान है । निःशक्ता व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने दिनांक 05.11.2013 के अपने आदेश में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/2004-स्था.(आरक्षण) में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2009 में संशोधित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) नियमावली के अनुरूप संशोधन करने का निदेश दिया था । तदनुसार, दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन में निःशक्ता प्रमाण-पत्र से संबंधित पैरा 9,10 एवं 11 को हटाते हुए दिनांक 29.11.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/1/2012-स्थापना (आरक्षण) द्वारा संशोधन किया गया है । सभी मंत्रालयों/विभागों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे निःशक्ता प्रमाण-पत्र से संबंधित संशोधित नियमावली, 2009 के अध्याय II के नियम 3 से 6 तक में समाविष्ट अनुदेशों का अनुपालन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि निःशक्त व्यक्ति का केवल चेहरा दर्शाने वाला हाल का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ ही निःशक्ता प्रमाण-पत्र पर लगाया जाए ।

**(ग) :** उक्त (क) एवं (ख) के भागों में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*